

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No.2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted-			
मूल	Original	3825,55,00		
			5393,81,00	-47,10
पूरक	Supplementary	1568,26,00	5393,33,90	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			29,70

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2415" कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Major Head "2415" Agricultural Research and Education			
मू.	O.	359250.00		
पू.	S.	156825.00	539081.00	539063.48
पु.	R.	23006.00		-17.52
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	23000.00		
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-23001.00		..

(I) ₹23019.50 लाख का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹22901.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹23019.50 lakhs remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹22901.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

- (का) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -
- (क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹500.25 लाख (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹500.25 लाख ; (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ग) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹5000.25 लाख (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (घ) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹2800.25 लाख (मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ङ) “बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें - कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹500.00 लाख ;
- (खा) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -
- (क) कृषि - वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1200.00 लाख ;
- (ख) “लचीली जलवायु में कृषि के लिए पहल” - ₹2000.00 लाख;
- (गा) “पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1200.00 लाख ;
- (A) “Crop Husbandry –Assistance to I.C.A.R.”-
- (a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹500.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2011);
- (b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes”- ₹500.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2011);
- (c) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes”- ₹5000.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2011);
- (d) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes”- ₹2800.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2011);
- (e) “Externally Aided Projects/Schemes - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes”- ₹500.00 lakhs;
- (B) “Soil and Water Conservation –Assistance to I.C.A.R.” –
- (a) “Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes”- ₹1200.00 lakhs;
- (b) “Climate Resilient Agriculture Initiative” – ₹2000.00 lakhs;
- (C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes”- ₹1200.00 lakhs;

(घा) “सामान्य - (कृषि अनुसंधान और शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) - अन्य कार्यक्रम” - ₹200.00 लाख; और

(ड) “सामान्य - कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें - केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सामान्य सहायता अनुदान” - ₹9000.00 लाख।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “फसल कृषि - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता”-

(क) “कृषि बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन” - ₹23428.00 लाख की बचत (₹36280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न स्कीमों/प्रभागों के बीच “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मुख्यालय” के अंतर्गत पेंशन तथा ऋण और अग्रिमों के लिए रखी गई निधियों का पुनः आबंटन किए जाने के कारण हुई।

(ख) “कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अधीन उपकर की निवल आय की अदायगी” - ₹150.00 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 निरस्त किए जाने के कारण हुई।

(ग) “राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजनाएं/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमों” - ₹1897.00 लाख की बचत (₹28897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्तन परियोजना की विभिन्न परियोजनाओं/उप परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) “General - (Agricultural Research and Education, International Cooperation) - Other Programmes” - ₹200.00 lakhs; and

(E) “General - Agricultural Research and Education Schemes - Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal” - ₹9000.00 lakhs.

Provisions under the above ten heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2415” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R.”-

(a) “I.C.A.R. Headquarter Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management” - saving of ₹23428.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36280.00 lakhs) was due to re-allocation of funds kept for pension and loans and advances under “ICAR Headquarter” amongst various schemes/divisions.

(b) “Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Cess Act, 1940”- saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to repealing of the A.P. Cess Act, 1940.

(c) “National Agricultural innovation Projects/ Externally Aided Projects/Schemes”- saving of ₹1897.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28897.00 lakhs) was due to non-finalization of various projects/sub projects of National Agricultural innovation Project.

(खा) “सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम” - ₹1221.03 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि में मौलिक, नीतिगत और सीमान्त अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि की विभिन्न परियोजनाओं/ उप-परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹55.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹39757.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2011 में ₹49425.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(क) “फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1518.25 लाख।

(ख) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1050.25 लाख।

(ग) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹6631.75 लाख।

(घ) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹4825.25 लाख।

(ङ) “कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹262.00 लाख।

(च) “कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹203.00 लाख।

(खा) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता” -

(B) “General - International Co-operation – Other Programmes” - saving of ₹1221.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects/sub-projects of the National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture.

(III) Under one head saving of ₹55.00 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹39757.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹49425.00 lakhs in March, 2011 under Major Head “2415” - under the following heads:-

(A) “Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R.” -

(a) “Crop Science Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1518.25 lakhs.

(b) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1050.25 lakhs.

(c) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - ₹6631.75 lakhs.

(d) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - ₹4825.25 lakhs.

(e) “Agricultural Economics and Statistics Institutes, Research and Education Schemes” - ₹262.00 lakhs.

(f) “Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes” - ₹203.00 lakhs.

(B) “Soil and Water Conservation – Assistance to I.C.A.R.” -

- (क) “केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1087.00 लाख।
- (ख) “कृषि - वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹1665.00 लाख।
- (गा) “पशुपालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹13686.00 लाख।
- (घा) “मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - ₹8829.00 लाख।
- (II) बचतें मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) “मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता - लचीली जलवायु में कृषि के लिए पहल” - ₹2000.00 लाख का अधिक व्यय (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (खा) “सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” - ₹8000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (a) “Central Soil and Water Conservation Institutes, Research and Education Schemes” - ₹1087.00 lakhs.
- (b) “Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes” - ₹1665.00 lakhs.
- (C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹13686.00 lakhs.
- (D) “Fisheries - Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes” - ₹8829.00 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2415” - under the following heads:-
- (A) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Climate Resilient Agriculture Initiative” - excess of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs); and
- (B) “General - Assistance to Other Institutions - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” - excess of ₹ 8000.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.